सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 14, मंगलवार, शाके 1945-अप्रेल 04, 2023
Chaitra 14, Tuesday , Saka 1945- April 04, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 30, 2022

संख्या प.3(22)वन/2022 :-वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36क की शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील स्थित आरक्षित वन खण्ड बाघदर्रा वन भूमि, जिसका विवरण नीचे दी गई अनुसूची-। एवं सीमाओं का विवरण अनुसूची-।। के अनुसार है, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पतीय भू-संरचना सम्बन्धित, नैसर्गिक एवं प्राणीशास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए संरक्षण आरक्षिति घोषित करती है, जिसे भविष्य में बाघदर्रा क्रोकोडाईल संरक्षण आरक्षिति के नाम से जाना जावेगा, जो उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बनाए गए नियमों या समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा ।

अनुसूची-।

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम	वन खण्ड का नाम	क्षैत्रफल (हैक्टर)	भूमि का वर्गीकरण
1	उदयपुर	गिर्वा	लकड़वास	बाघदर्रा	368.71	आरक्षित वन
				योगः-	368.71 है0	

अनुसूची-।।

सीमा की दिशा	सीमा का विवरण
उत्तरी सीमा :	पठियाल (जागीर)
पूर्वी सीमा :	लकड़वास
दक्षिणी सीमा :	लकड़वास धामधरा
पश्चिमी सीमा :	धामधरा, परोला व उमरड़ा

राज्य पाल की आज्ञा से,

वेंकटेश शर्मा,
शासन सचिव, वन।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।